श्रीगंगानगर (राज.)

...ालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सीता शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 21/24 GCMS No. 2024/16 **दायर दिनांकः– 10–01–2024**

1–राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

2– विपिन कुमार पुत्र श्री हंसराज जाति बिश्नोई साकिन 22 एलजीडब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ

3–राजेन्द्र पुत्र श्री नत्थूराम जाति बिश्नोई साकिन 22 एलजीडब्ल्यू सी तहसील सूरतगढ

———————प्रार्थीगण

बनाम

1– औमप्रकाश पुत्र श्री लिखमाराम जाति कुम्हार
2– जगदेवसिंह पुत्र श्री बख्तावरसिंह जाति जटसिख
3– देवीलाल पुत्र श्री लिखमाराम जाति कुम्हार
4–प्रियंका देवी पुत्री राजाराम जाति बिश्नोई

साकिनान 22 एलजीडब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

———————अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत कदीमी रास्ता स्वीकृत करने हेतु

उपस्थित :–

1– श्री राजवीर भादू अभिभाषक प्रार्थी न0 2 व 3

2– श्री जसवीरसिंह बराड़ अभिभाषक अप्रार्थी न0 2

3– पैराकार राज तहसीलदार सूरतगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

–:– निर्णय –:– दिनांक :– 07.06.2024

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण , अप्रार्थी नं0 2 के अभिभाषकगण एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा कदीमी रास्ता का प्रार्थना–पत्र चक 22 एल जी डब्ल्यू बी और सी दोनो चको के मध्य बने भाखड़ा नहर के दोनो तरफ समान्तर गै0मु0 रास्ता 50 वर्षो से चला आ रहा है । जिसमें 22 एल जी डब्ल्यू बी के प0न0 44/293 के किला न0 5 में 0.003 है0 अर्थात 24फुट गुणा 16 फुट का रास्ता काफी वर्षो से चलता आ रहा है परन्तू राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता स्वीकृत नही है । उक्त रकबा अप्रार्थीगण 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । 22 एल जी डब्ल्यू बी के प0न0 44/293 के किला न0 5 में भाखड़ा नहर पर चढने का रास्ता है । दोनो चको 22 एल जी डब्ल्यू बी एव सी के मध्य भाखड़ा नहर पर पुली बनी हुई है । उक्त रास्ते कदीमी रास्ता से गांव 22 एल जी डब्ल्यू बी ओर सी के कास्तकार दोनो चको में आवागमन अपने अपने खेतो में करते आ रहे है । अप्रार्थी न0 2 के द्वारा चक 22 एल जी डब्ल्यू बी के प0न0 44/293 के किला न0 5 में चल रहे रास्ता को जबरन बन्द करने की कोशिश की जा रही है । जिस पर प्रार्थीगण एव गांव के अन्य लोगो के द्वारा उक्त कदीमी रास्ता स्वीकृत करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.10 13:02:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उक्त पत्रावली पत्र ... दिनांक 03–01–2024 को भेज कर कदीमी रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई । पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी न0 1 व 4 स्वयं हाजिर होकर शपथ–पत्र प्रस्तुत कर उक्त कदीमी रास्ता स्वीकृत करने में सहमति प्रदान की । अप्रार्थी न0 3 तामील होने के पश्चात हाजिर नही आये ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अप्रार्थी स0 2 की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 22 एल जी डब्ल्यू बी के प0न0 44/293 के किला न0 5 में कदीमी रास्ता कभी भी नही रहा है । अगर कदीमी रास्ता होता तो 22 एल जी डब्ल्यू बी के अन्य कास्तकारान कभी भी रास्ता स्वीकृत करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर चुके होते । प्रार्थीगण चक 22 एल जी डब्ल्यू बी का कास्तकार न होकर सी में है । प्रार्थीगण को कभी भी कदीमी रास्ता की आवश्यकता नही रही । अप्रार्थी ने उक्त रकबा मे मकान बना रखा है । इसलिए प्रार्थना–पत्र निरस्त करने का निवेदन किया । अप्रार्थी नं0 2 के द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र का जबाब प्रस्तत किया गया ।

इसके पश्चात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं0 2 के अभिभाषकगण एव पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थीगण के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा कदीमी रास्ता का प्रार्थना–पत्र चक 22 एल जी डब्ल्यू बी और सी दोनो चको के मध्य बने भाखड़ा नहर के दोनो तरफ समान्तर गै0मु0 रास्ता 50 वर्षो से चला आ रहा है । जिसमें 22 एल जी डब्ल्यू बी के प0न0 44/293 के किला न0 5 में 0.003 है0 अर्थात 24फुट गुणा 16 फुट का रास्ता काफी वर्षो से चलता आ रहा है परन्तू राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता स्वीकृत नही है । उक्त रकबा अप्रार्थीगण 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । 22 एल जी डब्ल्यू बी के प0न0 44/293 के किला न0 5 में भाखड़ा नहर पर चढने का रास्ता है । दोनो चको 22 एल जी डब्ल्यू बी एव सी के मध्य भाखड़ा नहर पर पुली बनी हुई है। उक्त रास्ते कदीमी रास्ता से गांव 22 एल जी डब्ल्यू बी ओर सी के कास्तकार दोनो चको में आवागमन अपने अपने खेतो में करते आ रहे है । अप्रार्थी न0 2 के द्वारा चक 22 एल जी डब्ल्यू बी के प0न0 44/293 के किला न0 5 में चल रहे रास्ता को जबरन बन्द करने की कौशिश के तहत एक टेम्परेरी निर्माण किया गया है । जबकि उक्त इसी संयुक्त खाते के कास्तकार अप्रार्थी न0 1 व 4 के द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत करते हुये उक्त कदीमी रास्ता 25 से 30 वर्षो से चलता आ रहा है तथा उक्त रास्ता मन्जूर कर दिया जाता है तो किसी प्रकार का कोई उज्र व एतराज नही है । प्रार्थीगण के द्वारा भाखड़ा नहर के दोनो तरफ चक 22 एल.जी.डब्ल्यू.बी व सी के समान्तर चल रहे रास्ता तथा पुली का फोटो प्रस्तुत की गई । अप्रार्थी न0 2 के द्वारा जानबुझ कर पत्रावली के निर्णय में विलम्ब करने हेतू आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त योग्य है क्योकि आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र. उक्त प्रकरण पर लागू नही होता है । सी पी सी के प्रावधानो के तहत वाद–पत्र विधि से वर्जित हो तभी प्रस्तुत किया जाता है यह वाद–पत्र पर लागू है । इसलिए अप्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त करते हुये वाके चक 22 एल जी डब्ल्यू बी के प0न0 44/293 के किला न0 5 में 0.003 है0 अर्थात 24फुट गुणा 16 फुट का कदीमी रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी सं0 2 के अभिभाषक के द्वारा जबाब प्र[illegible] तथा सी पी सी के प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाके चक 22 [illegible] 44/393 के किला न0 5 में कदीमी रास्ता चालू होता तो तहसीलदार के द्वारा [illegible] रास्ता को मन्जूर कर दिया जाता जबकि ऐसा नही किया गया । प्राथीगण के द्वारा अप्रार्थी न0 2 [illegible] परेशान करने के लिए उसके कब्जा कास्त रकबा में जानबुझ कर कदीमी रास्ता दिखा कर रास्ता देने की मांग की है । प्रार्थीगण 22 एल.जी.डब्ल्यू.सी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.10 13:02:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

में है । जबकि उक्त रास्ता की मांग 22 एल जी डब्ल्यू बी के रकबा से की गई है । अप्रार्थी न0 2 ने उक्त रकबा मे मकान बना रखा है तथा निवास कर रहा है । इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र निरस्त किया जावे ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावैजो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के आई एल आर रामसरा जाखड़ान की रिपोर्ट एवं स्वंय के द्वारा कदीमी रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुसंशा की गई। अप्रार्थी न0 2 के द्वारा प्रार्थना—पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का प्रस्तुत किया गया जिसका जबाब प्रार्थीगण के द्वारा दिया गया। अप्रार्थी न0 2 का प्रार्थना—पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी विधि के अनुकूल नही है। इसलिए निरस्त किया जाता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो , रिपोर्ट तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत ड्रोन फोटो , तथा उक्त संयुक्त खाता के कास्तकार अप्रार्थी न0 1 व 4 के द्वारा स्वयं के शपथ—पत्र के द्वारा उक्त कदीमी रास्ता 25 – 30 वर्षो चला आ रहा उक्त रास्ते से दोनो चको के कास्तकार आवागमन करते आ रहे है तथा उक्त कदीमी रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी न0 1 व 4 कोई अनुतोष नही चाहते और ना ही किसी प्रकार का कोई उज्र व एतराज है । तथा अप्रार्थीगण के द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई भी दस्तावैज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह सिद्ध हो की भाखड़ा नहर पर बने पुल से दोनो चको 22 एल जी डब्ल्यू बी और सी के कास्तकार आवागमन नही कर रहे । इसलिए चक 22 एल जी डब्ल्यू बी के प0न0 44/293 के किला नं0 5 मे 0.003 है0 अर्थात 24फुट गुणा 16 फुट का कदीमी रास्ता स्वीकृत किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी न0 1 ता 4 के नाम खातेदार भूमि चक 22 एल जी डब्ल्यू बी के खाता न0 48/26 के प0न0 44/293 के किला न0 5 में 0.038 है0 में से 0.003 है0 अर्थात 24फुट गुणा 16 फुट पूर्वी पासा में कदीमी रास्ता (चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता) स्वीकृत किया जाता है । उक्त स्वीकृत कदीमी रास्ता संबंधित निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तू नक्शे में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जावेगा व रास्ता के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावेगी । शेष अंकन यथावत रहेगें । उक्त रास्ता का अंकन लाल स्याही से किया जावे । तहसीदलार सूरतगढ की रिपोर्ट के संलग्न आशिक नजरी नक्शा चक 22 एल जी डब्ल्यू उक्त आदेश का भाग रहेगा । इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार सूरतगढ के नाम तहरीर जारी हो । पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.10 13:02:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)